

Form No. III  
फर्द—अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ़

मुकाम

चित्तौड़गढ़

आशा

बनाम

कमल वगैराह

किस्मा मुकदमा

राजस्व प्रार्थना पत्र

नं०

**397**

सन्

**2018**

| तारीख<br>हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुकम की तामील<br>में जारी हुए |
|---------------|--|---|
| 01.10.2019    | <p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। प्रा०प० अंतर्गत धारा 212 RTA 1955 के मूल वाद संख्या 235/2018 अनवानी आशा बनाम कमल वगैराह में प्रा०प० 07R11 जा०दी० का स्वीकार होने से वाद पत्र न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं पाये जाने से क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं से नामंजूर किया जाकर अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA 1955 में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं न्यायालय हाजा द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 23.10.2018 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही प्रार्थना पत्र मूल वाद संख्या 235/2018 अनवानी आशा बनाम कमल वगैराह के साथ हम किता रहें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> |   |



- ह० -  
(विनोद कुमार)  
सहायक कलेक्टर,  
(उपखण्ड अधिकारी),  
चित्तौड़गढ़  
01-10-2019